

# THE COURT

Of 20

Date of  
order or  
proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of  
Parties or  
Pleadings where  
necessary

25/17

आवेदक सहित श्री एस.एस. तोमर अधिवक्ता ने उपस्थित होकर एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 151 जा.दी. का पेश कर इस न्यायाल के प्र.क्र.-19/15 क्लेम अशोक सिंह - राजू आदि खा.दि.- 12-11-16 के पालन में जमा शुदा अवार्ड राशि के भुगतान कराये जाने वावत् मय में पेश किया।

आवेदनपत्र की प्रति नायब नाजिर गोहद की ओर भेजकर जमा शुदा अवार्ड राशि के संबंध में प्रतिवेदन तलब हो।

प्रकरण विधिवत एम.जे.सी. पंजी में पंजीबद्ध हो।

मूल अभिलेख तलब हो।

प्रकरण प्रतिवेदन/अभिलेख हेतु दिनांक 11-02-17 का पेश हो।

पी. सी. आर्य  
सदस्य

द्वि. मोटर दुर्वटना बाबा प्राधिकरण  
गोहद जिला-भिरड (म.प्र.)

आवेदक अंकित अंकित श्री एस.एस. तोमर अधिवक्ता

उपस्थित।

प्रकरण प्रतिवेदन की प्राप्ति हेतु नियत है।

नायब नाजिर गोहद से प्रतिवेदन प्राप्त मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है।

बीमा कंपनी अधिवक्ता श्री जे.पी. राठौर उपस्थित। अवार्ड राशि आवेदनपत्र पर उभयपक्ष को सुना गया।

मूल अभिलेख का अवलोकन किया अवार्ड राशि के जमा होने के संबंध में नाजिर रिपोर्ट का अवलोकन किया।

11/2/17

अंकित सिंह

11/2/17

11/2/17

11/2/17



Date of  
order or  
proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature  
Parties  
Pleaders who  
necessary

आवेदनपत्र पर विचार किया गया प्रकरण में आवेदक को क्षतिपूर्ति हेतु आदि. 12-11-16 के पालन में बीमा कम्पनी द्वारा 600000/- (छे लाख) रुपये जरिये पैक जमा किया गया। जो इस न्यायालय के पैक जमा पंजी कं-21/16 दिनांक 17-12-16 के नजस्त अनुभाग में नजस्त अनुभाग मोहड़ भेजा गया जो नजस्त अनुभाग के पंजीयन क्रमांक 20/16 दिनांक 20-12-16 पर जन होकर रोक है।

मूल अभिलेख के अवलोकन से दर्शित होता है कि उक्त प्रकरण मासिक नेशनल लोक अदालत में इसी न्यायालय में निराकृत प्रकरण दिनांक 12-11-16 को हुआ। आवेश दिनांक 12-11-16 का अवलोकन किया जिसमें राजीनामा के आधार पर अपाई मारित करते हुए राशि 600000/- (छे लाख) रुपये आवेदकगण को बीमा कम्पनी द्वारा दो माह के भीतर अदा किये जाने का आदेश दिया गया है। जिसमें से आवेदक 01 लगायत 03 जो कि मृतिका के पति व पुत्र है। उनके प्रत्येक के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रुपये की राशि 03 माह की सावधी जमा आते (एफ.डी.आर.) के माध्यम से प्रदान की जावे तथा 25000 / 25000 (पच्चीस-पच्चीस हजार) रुपये उन्हें नगर रूप से बैंक आते के माध्यम से भुगतान किए जाए तथा आवेदक कं-4 व 5 को बृद्धस्था को देहते हुए आवेदिका कं-4 को 50,000/- (पचास हजार) रुपये व आवेदक कं-5 को रोक 25000/- (पच्चीस हजार) रुपये राष्ट्रीयकृत बैंक आते के माध्यम से नगर भुगतान किये जाने का आदेश है।

चूंकि आवेदक अशोक द्वारा अपनी जमा मुद्रा राशि के संबंध में पृथक से अपाई राशि प्राप्त किये जाने आवेदनपत्र पेश किया है जो मृतिका का पुत्र है। अतः आदेश के पालन में आवेदक अंकित सिद्ध पुत्र अशोक, सिद्ध निवासी मोहड़ चौराहा तहसील मोहड़ जिला भिण्ड म.प्र. 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रुपये की 03 वर्ष की सावधी जमा आते (एफ.डी.आर.) के माध्यम से प्रदान की जावे तथा 25000/- (पच्चीस हजार) रुपये राष्ट्रीयकृत बैंक आते के माध्यम से नगर भुगतान किये जाने का आदेश है। आदेशानुसार पक्षकार के उपस्थित होने पर रिफण्ड वाचचर तैयार कर नायब नाजिर मोहड़ की ओर कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

लोक अदालत के डिक्रेट तैयार हो।

मूल अभिलेख प्र.कं-19/15 कलम अशोक सिद्ध तामर वनाम राजू आदि आदि. 12-11-16 में आदेश की प्रति संलग्न कर अभिलेखागार भिण्ड को वापिस भेजा जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार भिण्ड भेजा जावे।

पी. सी. शर्मा

सदस्य

हि. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण  
मोहड़ जिला-भिण्ड (म.प्र.)